पटना में दिनांक–30 मई, 2023 मंगलवार को अपराह्न 4:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	खान एवं भूतत्व विभाग		
1.	श्री लक्ष्मी प्रसाद साहू, तत्कालीन उप निदेशक को विभागीय अधिसूचना संख्या– 191 दिनांक 20.01.2016 से दी गई शास्ति "सेवा से बर्खास्तगी" को समादेश याचिका संख्या–19270/2014 में दिनांक 13.10.2022 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में निरस्त करने तथा बर्खास्तगी तिथि 20.01.2016 से सेवानिवृत्ति की तिथि (30.11.2017) की अवधि के वेतन भत्ता एवं अन्य परिणामी लाभ सशर्त्त दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	1.	स्वीकृत।
	गृह विभाग (कारा)		
2.	राज्य के काराओं को सुदृढ़ बनाने एवं कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु 238 (दो सौ अड़तीस) अतिरिक्त लिपिक के पदों की स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।
	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग		
3.	बिहार मद्य निषेध अवर सेवा नियमावली, 2017 में संशोधन हेतु "बिहार मद्य निषेध अवर सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023" प्रारूप का अनुमोदन, तत्पश्चात् अधिसूचित करने एवं गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत करने की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग		
4.	"बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016" की धारा–95 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली, 2021" यथा संशोधित नियमावली के नियम–12(क) के उप नियम (2) का संशोधन हेतु संशोधन नियमावली को अधिसूचित करने तथा गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत करने की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।
	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग		
5.	श्री ध्रुव कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल सम्प्रति निलम्बित को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (XI) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6. गया जिलान्तर्गत गंगा जल आपूर्ति योजना अन्तर्गत जल संचयन, जल शोधन एवं पावर सब स्टेशन निर्माण के हेतु अपयोजित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि अंचल–फतेहपुर के विभिन्न मौजा व थाना के विभिन्न खाता एवं खेसराओं के अन्तर्गत कुल रकबा–88.19 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि (भूमि की विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 6. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

7. डा० सुमित कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, डिहरी, रोहतास को दिनांक–30.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

8. डा० मिथिलेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, आरा को दिनांक–03.10.2015 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 8. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

10. सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन 37 (सैंतीस) जिलों में स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के वर्गकक्ष, पुस्तकालय, कर्मशाला, प्रयोगशाला एवं छात्रावास में आवश्यकता आधारित मशीनें/उपकरण/उपस्कर/कम्प्यूटर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू० 150,40,00,000.00 (एक सौ पचास करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने के संबंध में। — 10. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

11. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन 45 (पैंतालीस) राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में उपकरण/ उपस्कर/कम्प्यूटर इत्यादि सामग्रियों के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू० 71,99,00,000.00 (इकहत्तर करोड़ निन्यान्वें लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने के संबंध में। — **11. स्वीकृत।**

खान एवं भूतत्व विभाग

12. खान एवं भूतत्व विभाग में आई०टी० प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) की सेवा इंटीग्रेटेड माइनिंग मैनेजमेंट इन्फोर्मेशन सिस्टम (आई०एम०एम० आई०एस०) के विकास, अधिष्ठापन एवं कार्यान्वयन हेतु 05 वर्षों के लिए कुल ₹4,58,45,313/–(चार करोड़ अंठावन लाख पैंतालिस हजार तीन सौ तेरह मात्र) के व्यय पर लिये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **12. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

13. पथ निर्माण विभाग एवं इनके अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों यथा उपभाग/क्षेत्रीय कार्यालय/निगम/ संस्थान के लिए अनुपयोगी मशीनों, उपस्करों, स्क्रैप, यंत्र–संयंत्र एवं सभी प्रकार के निष्प्रयोज्य योग्य वाहन आदि को रद्दी घोषित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर समिति गठित करते हुए बिहार वित्त नियमावली के नियम–131 झ (ड़) के तहत नामांकन के आधार पर नीलामी प्रक्रिया मेसर्स मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन (एम०एस०टी०सी०) लिमिटेड (भारत सरकार के उपक्रम) के माध्यम से ई–ऑक्शन द्वारा करने की स्वीकृति के संबंध में। — **13. स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2023–24 में अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कोरीडोर (AKIC) परियोजना के तहत इण्टीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग कलस्टर (IMC) की स्थापना हेतु मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) में शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट (SHA) एवं स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (SSA) में परिवर्तन हेतु स्वीकृति के संबंध में। — **14. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

15.	बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु "समाधान यात्रा" के क्रम में बनी सहमति के आलोक में चण्डी (नालंदा) में एक नये 2x50 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिड सब–स्टेशन, इससे संबंधित 132 के०वी० के संचरण लाईनों एवं अस्थावाँ तथा हरनौत ग्रिड सब–स्टेशन में दो–दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 129.75 करोड़ (एक सौ उनतीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये की नई योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात 25.95 करोड़ (पच्चीस करोड़ पंचानवे लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 103.80 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ अस्सी लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	15.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16.	जमुई जिलान्तर्गत अंचल–खैरा, मौजा–बेला, थाना सं0–108, खाता सं०–193, खेसरा सं०–1418 एवं 755, रकबा क्रमशः 21.46 एकड़ एवं 05.54 एकड़, अर्थात् कुल रकबा–27.00 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म परती कदीम भूमि को चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भवन की स्थापना हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।	16.	स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

17.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में स्नातक शिक्षक/स्नातकोत्तर शिक्षक के पद पर जवाहर नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त स्नातक/स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए संविदा नियोजित किये जाने की स्वीकृति। प्रस्तावित संविदा नियोजन की अन्य शर्त्तें हू–ब–हू वही होगी, जैसा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या –10000, दिनांक–10.07.2015 में विहित है।	17.	स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

18.	मद्यनिषेध सिपाही संवर्ग के कर्मियों का आवासन, अनुशासन एवं उनका नियमित प्रशिक्षण हेतु राज्य में 5 (पाँच) ग्रुप सेन्टर (पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया एवं सहरसा) की स्थापना हेतु एवं मद्यनिषेध के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 1218 (एक हजार दो सौ अठारह) पदों का सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	18.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

19. डा० नसीम अहमद, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचगछिया, सहरसा को दिनांक–09.06.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **19. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

20. डा० रंजन कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, रजौली, नवादा को दिनांक–12.05.2017 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **20. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

21. डा० (श्रीमती) अनिता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरवल, प्रतिनियुक्त सदर अस्पताल, अरवल को दिनांक–06.03.2014 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **21. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

22. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग नियमावली–2018 को निरस्त करते हुए "बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली–2023" के गठन की स्वीकृति के संबंध में। **22. स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(सिविल विमानन निदेशालय)

23. पूर्णिया हवाई अड्डा पर नये सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) की स्वीकृति के संबंध में। **23. स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(सिविल विमानन निदेशालय)

24. दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा पर नये सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) की स्वीकृति के संबंध में। **24. स्वीकृत।**